28. एक हिन्दू मन्दिर को स्थापित करने के लिए धार्मिक विन्यास का विलेख

यह न्यास विलेख प्रथम भाग के इसमें इसके पश्चात "संस्थापक" कहे गये

श्री .................... .................... पुत्र श्री .................... .................... उम्र लगभग ..................... वर्ष, निवासी .................... जिला ....................

तथा दूसरे भाग के इसमें इसके पश्चात् "न्यासीगण' कहे गये

(1) श्री ............... .................... पुत्र श्री .................... निवासी .................. और

(2) श्री .................... .................... पुत्र श्री .................... निवासी ....................

के बीच तारीख .................... को किया गया;

यतः

1. संस्थापक इसके साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची में पूर्णतया वर्जित सम्पत्ति को सभी विल्लगमों से स्वतंत्र हिताधिकारी स्वामी की हैसियत से कब्जाधारी है।
2. उसकी आयु साठ वर्ष हो गयी है और उसने अपनी शेष बचने वाले जीवन को देश की लोक सेवा तथा स्वच्छन्द विश्व की मानव सेवा को समर्पित कर दिया है।
3. उसने .................. .................. रुपये के खर्च पर .................. .................. के नाम के अधीन एक मन्दिर तथा उपर्युक्त महन्त का निवास एवम् ................ .................. रुपये के खर्च पर एतद्द्वारा गठित किये गये न्यास के कार्यालय के लिए पक्का निर्माण धार्मिक लाभ एवम् अन्य अच्छे कारणों के प्रतिफल में परिनिर्मित करवाया है और ................. में ................. .................. के सामने निर्मित उपर्युक्त मन्दिर में स्थापित किये गये .................. ............ को समर्पित मन्दिर एवम् अन्य निर्माणों के अग्रिम विस्तार के लिए पृथक ............................ रुपये रखा है।
4. न्यासियों ने कथित मन्दिर के प्रबन्ध एवम् पूजा के प्रयोजनार्थ न्यासियों की हैसियत से कार्य करने का करार किया है।
5. संस्थापक इस प्रकार इसके साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची में पूर्णतया वर्णित सम्पत्ति का विन्यास करने का इच्छुक है ताकि उसके फायदे एवम् आय में से कथित मन्दिर का पोषण किया जा सके और त्योहारों एवम् अन्य अवसरों के दौरान उसमें किये गये सभी रूढिजन्य समारोहों के साथ में दैनिक उपासना जारी की जा सके।

**अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्षित करता है -**

* 1. **न्यास के उद्देश्य है :**

1. .................. में एक दूसरे स्थान में ................. को स्थापित करके ................... भगवान शिव का आदर एवम् प्रतिमा को पुनःस्थापित करना जो ऊपर वर्णित ................... में मन्दिर का स्थान है तथा इसके वास्तविक वैभव को विकसित करना;
2. कथित मन्दिर और इससे जुड़ी हुई संस्थाओं का पोषण करना तथा उन्हें खोलना तथा हिन्दुओं के सभी भागों के साथ-साथ भारत वर्ष के अल्प संख्यक सम्प्रदायों के अन्य सदस्यों के लिए भी खुला रहना जो अपनी मातृभूमि के रूप में भारतवर्ष को अपना मानते हैं।
3. स्वच्छ संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ................. का प्रबन्ध करना एवम् उसको संचालित करना
4. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी अन्य आवश्यक और संचालित बातों को करना।
   1. संस्थापक पूर्ण स्वामी न्यास पर और इसमें अन्तर्विष्ट शक्तियों एवमउपबंधों के साथ, उनके अधीन तथा उनके अध्यधीन रहते हुए उसको धारण करने के लिए न्यासियों की इसके साथ उपाबद्ध की अनुसूची में पूर्णतया वर्णित सम्पत्ति को एतद्वारा मंजूर करता है, समर्पित करता है और हस्तांतरित करता है।
5. न्यासीगण कथित मन्दिर में प्रवेश करने तथा कथित देवी-देवता की उपासना करने के लिए जाति या पंथ के किसी भेद-भाव के बिना सभी मानव प्राणियों को अनुमति एवम् अनुज्ञा प्रदान करेगे और किसी भी व्यक्ति को एक हरिजन या अस्पर्शजन्य के रूप में अभिकथित होने के कारण प्रवेश करने से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. न्यासीगण अपने विवेक से ऐसे पूजारी या पुजारियों को नियोजित एवम् रोजगार प्रदान करेंगे जिन्हें वे कथित मन्दिर में पूजा या उपासना करने के लिए उपयुक्त समझे और यथा स्थिति उसे या उन्हें ऐसी पारिश्रमिक का संदाय करेगा जो वह उचित समझे। वे ऐसे कर्मचारियों में से किसी को भी निलम्बित करने एवम् हटाने तथा उसे हटाने तथा उसके स्थान पर एक प्रतिस्थानी को नियुक्त करने के हकदार हैं।
7. न्यास सम्पत्ति की आय में से न्यासीगण कथित मन्दिर में पूजा करने के साथसाथ मन्दिर के पुजारी या पुजारियों तथा अन्य सेवकों को वेतनों का संदाय करने तथा अन्य आवश्यक खर्चों को भी चुकता करने के लिए खर्चों की अदायगी करेगें।
8. न्यासियों के पास निषेधात्मक शक्ति के प्रयोग के अध्यधीन रहते हुए न्यास सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेने की भी शक्ति होगी जिसका प्रयोग न्यास के संस्थापक के कुटुम्ब या वंशजों के मध्य से नियुक्त किये गये न्यासी द्वारा किया जा सकेगा।
9. न्यासीगण ............. ............. और / या ऐसी प्रतिभूतियाँ जिन्हें वह उपयुक्त समझे, में शुभ विचारों के अधीन मानव कल्याण सेवा में विस्तार में अपने हाथों में अधिशेष निधि को निहित कर सकेगा।
   1. न्यास सम्पत्ति का प्रबन्ध एवम् नियंत्रण न्यासियों में निहित कर दिया जायेगा।
   2. संस्थापक एवम् उसके वंशजों के कुटुम्ब का एक पवित्र एवम् धार्मिक जीवन की ओर ले जाने वाले सदस्यों में एक सदैव वही उपभोग करने वाला तथा उपर्युक्त निषेधात्मक शक्ति को रखने वाला न्यास के सहन्यासियों में से एक होगा।
   3. यदि न्यासियों में से कोई एक दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता या लैंगिक अपराध का दोषी होना पाया जाता है छः महीने से अधिक से भारत वर्ष से अनुपस्थित रहता है या अन्यथातौर पर शारीरिक रूप से निराश बना दिया जाता है तो शेष बचने वाले न्यासीगण उसके प्रतिस्थानी की नियुक्ति करेंगे।
   4. जब न्यासियों के बीच राय में मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय यथा परोक्त ऐसे अधिकारी को रखने वाले न्यासी की निषेधात्मक शक्ति के अध्यधीन रहते हुए आबद्धकारी एवम् प्रभावकारी होगा और ऐसे विनिश्चय का पालन किया जायेगा।
   5. इसके उद्देश्य के अभाव की वजह से न्यास के असफल हो जाने या न्यास का अनुपालन असंभव हो जाने की दशा में, न्यासीगण समरूपी प्रयोजनार्थ शेष रहने वाली विधि का उपयोजन करने के लिए न्यायालय में आवेदन करेगा।
   6. न्यासीगण किसी भी दशा में नहीं न्यास सम्पदा की हानि के लिए दायी नहीं होगे जब तक उन्हें या उनमें से किसी को भी कपट या दुर्विनियोग या इसके समान का दोषी होना पाया जाता है।
   7. न्यास की सम्पत्ति किसी भी दशा में, संस्थापक या उसके वंशजो को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जैसे यह एक सार्वजनिक रजिस्ट्रीकृत न्यास है।
   8. न्यास निधि का कोई भाग, अर्थात, उसकी या तो समग्र या उसकी आय का प्रयोग एतदद्वारा सृजित किये गये न्यास के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है।
   9. स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करने के लिए इसके साथ उपाबद्ध की अनुसूची में पूर्णतया वर्णित न्यास सम्पत्ति का मूल्य ....................... रुपये है और अतएव, .......... रुपये का स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 64 के अधीन उस पर संदाय किया गया है।
   10. यह एतद्द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि न्यास के सृजनकर्ता के जीवनकाल के दौरान न्यासियों में से किसी की भी मृत्यु के मामले में, न्यास का सृजनकर्ता के पास इस प्रकार मृतक न्यासी के स्थान में किसी अन्य न्यासी को नियुक्त करने का अधिकार है। न्यास के निर्माता की मृत्यु के पश्चात् न्यास के निर्माता के कुटुम्ब से सहन्यासी किसी मृत न्यासी के स्थान में अन्य न्यासियों को नियुक्त करने के लिए शक्तिमान बना दिया जायेगा और न्यास के सृजनकर्ता के कुटुम्ब के ऐसे सह न्यासी को पट्टान्तरण के मामले में न्यास सृजनकर्ता के कुटुम्ब या वंशजो का सर्वाधिक योग्य एवम् पवित्र पुरुष व्यक्ति अन्य उत्तरवर्ती न्यासियों द्वारा सहन्यासी के रूप में नाम निर्देशित किया जायेगा।

**जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित प्रथम तारीख एवम् वर्ष को निष्पादित किया है।**

**हस्ताक्षर ............. .............**

**दिनांक किया ............. .............**

**स्थान (संस्थापक)**

**साक्षीगण हस्ताक्षर.............**

**किया............. .............1**

**1. ............. हस्ताक्षर किया.............2**

**2. . ............. हस्ताक्षर किया.............3**

**न्यास विलेख की अनुसूची**

1. ..................रुपये.............. के मूल्यांकित मन्दिर का निर्माण तथा उस पर स्थापित देवी-देवता।
2. न्यास के कार्यालय के लिए एक पक्का कमरा। ............. किया गया मूल्यांकन ............. रुपये.............
3. महन्त के निवास एवम् स्नानागार तथा उससे सहबद्ध शौचालय के लिए एक पक्का कमरा। ................. किया गया मूल्यांकन .................. रुपये .............
4. देवी-देवता को समर्पित किया गया तथा न्यासियों को परिदान किया गया नकद धन ................. रुपये .................।

............. .............

हस्ताक्षर किया, संस्थापक 'ने;

............. .............

हस्ताक्षर किया न्यासी (1)

............. .............

ने हस्ताक्षर किया न्यासी (2)

............. .............

ने हस्ताक्षर किया न्यासी (3) ने